


तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

02 ⁰⁴/₂₀₂₅

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। प्रा०पत्र टी० आई० से संबंधित मूल वादपत्र में आज प्राथमिक डिक्री जारी की जा चुकी हैं। पक्षकारान के हक-अधिकारों का निर्धारण वादपत्र में गुणावगुण के आधार पर किया जाना है। अतः तादौराने फैसल वाद उभयपक्षकारान वादग्रस्त आराजी ख० नं० 158 रकबा 2.33 हैक्टे० तन ग्राम बणियाला प०ह० महावा तहसील नीमकाथाना के विशिष्ट भू-भाग का बेचान नही करें एवं बिना सक्षम अनुमति के कृषि से अकृषि में तब्दील नहीं करें तथा मौका की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया।


(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी,
नीमकाथाना